पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :– 143/2017

अनवान

1. राजेश बैनीवाल पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिडियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सन्दीप कुमार पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. कृष्ण उर्फ कृष्ण चन्द्र पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री अमरजीत की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है किरोही मौजा चक 7 एसडीआर के वर्तमान खाता सं0 20/21 के मु0नं0 26 के किला नं0 19, 21, 22 मु0नं0 65 के किला नं0 1, 10, 11, 12/1, 19, 20, 21, 22 मु0नं0 72 किला नं0 2, 3 कुल 3.162 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी कृष्ण के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं0 13/32 के मु0नं0 65 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 15 के 3.036 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी में प्रतिवादी कृष्ण के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण उर्फ कृष्ण चन्द्र का नाम कलमजन कर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:45:05 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/11/... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :- 143/2017

अनवान

1. राजेश बैनीवाल पुत्र कृष्ण जाति जाट निवारी सरदारपुराबास चिडियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सन्दीप कुमार पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. कृष्ण उर्फ कृष्ण चन्द्र पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट

उपस्थिति : वकील श्री अमरजीत **: वादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 25.10.17

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के वर्तमान खाता सं0 20/21 के मु0नं0 26 के किला नं0 19, 21, 22 मु0नं0 65 के किला नं0 1, 10, 11, 12/1, 19, 20, 21, 22 मु0नं0 72 किला नं0 2, 3 कुल 3.162 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी कृष्ण के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं0 13/32 के मु0नं0 65 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 15 के 3.036 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी में प्रतिवादी कृष्ण के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि पहले वादीगण के दादा जयलाल की खातेदारी हुआ करती थी। जयलाल के देहान्त होने पर वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कृष्ण को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई थी परन्तु विरासतन इन्तकाल कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा प्रतिवादी कृष्ण ने अपने नाम से दर्ज करवा ली। इसके अलावा उक्त वादभूमि की आय आमदनी एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की आय आमदनी से अन्य कृषि भूमि भी खरीद की गई थी वह भी कर्ता खानदान प्रतिवादी कृष्ण व कृष्ण की पत्नी गुड्डी के नाम से ही करवा दी गई थी।

इस प्रकार कुल वादभूमि तन्हा प्रतिवादी कृष्ण के नाम दर्ज रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वादभूमि के सम्बन्ध में वादीगण एवं प्रतिवादी का पारिवारिक बंटवारा हो गया था जिसमें चक 7 एसडीआर व 9 एसडीआर की उक्त वर्णित खातेदारी वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा शेष भूमि जो संयुक्त परिवार की आय आमदनी से खरीद की गई थी वह प्रतिवादी कृष्ण व गुड़डी के हिस्सा में आ गई थी। परन्तु राजस्व रिकार्ड में कुल भूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी कृष्ण उर्फ कृष्णचन्द्र के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:45:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल है। प्रतिवादी सं0 2 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण के दादा जयलाल की खातेदारी हुआ करती है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी कृष्ण उर्फ कृष्णचन्द्र के नाम दर्ज होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 7 एसडीआर के खाता सं0 20/21 व चक 9 एसडीआर के खाता सं0 13/32 में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में जो फोटोप्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम 7 एसडीआर व 9 एसडीआर प्रदर्श 3 व 4 प्रदर्शित करवाई है उसमें विवादित आराजी वादी के दादा जयलाल वल्द सुरजा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे विवादित कृषि भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषिभूमि होना साबित है एवं प्रदर्श 7 वारिस प्रमाण पत्र में कृष्ण उर्फ कृष्ण चन्द्र के मौजूदा वारिसान में पत्नी गुड्डी एवं दो पुत्र राजेश बैनीवाल व संदीप कुमार होना व अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है किरोही मौजा चक 7 एसडीआर के वर्तमान खाता सं0 20/21 के मु0नं0 26 के किला नं0 19, 21, 22 मु0नं0 65 के किला नं0 1, 10, 11, 12/1, 19, 20, 21, 22 मु0नं0 72 किला नं0 2, 3 कुल 3.162 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी कृष्ण के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं0 13/32 के मु0नं0 65 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 15 के 3.036 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी में प्रतिवादी कृष्ण के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण उर्फ कृष्ण चन्द्र का नाम कलमजन कर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:45:05 IST
Reason: SelfAttested

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़